



COVID-19 के कारण कैदियों की रद्दीई

प्रीलमिस के लयि

राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण, COVID-19

मेन्स के लयि

COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से नपिटने में न्याय तंत्र की भूमिका, COVID-19 से नपिटने में सरकार के प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में COVID-19 के प्रसार को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम के तहत देश की वभिन्न जेलों से लगभग 11,077 वचिराधीन कैदियों को रद्दी कर दया गया है ।

मुख्य बदि:

- [राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण](#) (National Legal Services Authority- NALSA) के अनुसार, COVID-19 के कारण देश की वभिन्न जेलों में भीड़ को कम करने के मशिन के तहत इन कैदियों को रद्दी कया गया है ।
- NALSA के अनुसार, वर्तमान नयिमें में दी गई राहत के तहत जो भी कैदी पैरोल (Parole) या अंतरमि जमानत पर रद्दी होने के पात्र हैं, उन्हें NALSA के वकीलों के माध्यम से वधिकि सहायता प्रदान की गई है । इसी प्रकार दोषियों (Convicts) को भी आवश्यक वधिकि सहायता प्रदान की जा रही है ।
- वर्तमान में NALSA को देश के 232 ज़िलों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, अब तक लगभग 11,077 वचिराधीन कैदियों और 5,981 दोषियों को रद्दी कया जा चुका है ।

कैदियों की रद्दीई से जुड़े नयिमें में ढील का कारण:

- हाल ही में देश के वभिन्न भागों में COVID-19 के मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है ।
- धयातव्य है कि देश में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 23 मार्च, 2020 को देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जेलों में बंद कैदियों के मामलों की जाँच करने और उनमें से अंतरमि जमानत या पैरोल पर रद्दी कयि जा सकने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के लयि एक वशिष समति का गठन करने का आदेश दया था ।
- इसी संबंध में 13 अप्रैल, 2020 की सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने असम के [वदिशी नरिध केंद्रों/फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर्स](#) (Foreigners' Detention Centres) में दो वर्ष से अधिक समय तक बंद कैदियों को रद्दी कयि जाने पर सहमत ज़ाहरि की थी ।
- हालाँकि न्यायालय ने यह स्पष्ट कया था कैदियों को रद्दी करने से पहले उनके COVID-19 से संक्रमति होने की जाँच की जाएगी और ऐसे कसि भी कैदी को रद्दी नहीं कया जाएगा जो परीक्षण में COVID-19 से संक्रमति पाया जाता है ।
- धयातव्य है कि [राष्ट्रीय अपराध रकिर्ड बयूरो](#) (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा पछिले वर्ष जारी ['भारतीय कारावास आँकड़े'](#) (Prison Statistics India), 2016 के अनुसार, वर्ष 2016 तक भारतीय जेलों में बंद कुल कैदियों में से **68 प्रतिशत वचिराधीन कैदी (undertrials)** थे अर्थात् वे लोग जनि पर दोषसदिधि होना अभी बाकी था ।
- COVID-19 की महामारी को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने जेलों में भीड़ (Overcrowding) तथा जेल प्रशासन के दबाव को कम करने के लयि यह फैसला लया था, जसिसे कसि भी आपातकालीन स्थति को आसानी नयितरति कया जा सके ।
- NALSA के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जमानत पर रद्दी कयि जा सकने वाले वचिराधीन कैदियों की पहचान के लयि बनी इन उच्चधाधिकार प्राप्त समतियों (High-Powered Committee) को स्थानीय वधिकि सेवा प्राधकिरयिों द्वारा सहयोग प्रदान कया जा रहा है ।

वधिकि सहायता उपलब्ध करने में NALSA की भूमिका:

- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारतीय सीमा के अंदर सभी को वधिकि समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है और संवधान के अनुच्छेद

39A में राज्यों के लिये वधि तंत्र के माध्यम से न्याय के सामान अवसर तथा उचित कानून व योजनाओं द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से नःशुल्क कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे।

- वर्ष 1995 में NALSA ने अपनी स्थापना के साथ ही भारतीय संविधान के इन मूल्यों को मज़बूत आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- ध्यातव्य है कि NALSA की स्थापना 'वधिकि सेवा प्राधिकरण अधिनियम' (Legal Services Authorities Act) 1987 के तहत की गई थी तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है।
- देश के न्याय तंत्र के हर स्तर तक NALSA पहुँच ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। NALSA राष्ट्रीय स्तर (राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से), राज्य स्तर (राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से), ज़िला स्तर (ज़िला वधिकि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से) एवं तालुका स्तर पर (तालुका वधिकि सेवा समितियों के माध्यम से) नःशुल्क वधिकि सेवाएँ प्रदान करता है।
- वर्तमान में COVID-19 के कारण देश में लागू लॉकडाउन से अन्य सेवाओं के साथ ही लोगों को वधिकि सहायता मिलने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में NALSA ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी ज़रूरतमंद लोगों तक वधिकि एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा कर COVID-19 से उत्पन्न हुई चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अन्य मामलों में NALSA द्वारा सहयोग:

- NALSA के अनुसार, वधिकि सेवा प्राधिकारी वधिकि सहायता हेल्पलाइन नंबरों और विशेषकर राष्ट्रीय वधिकि सहायता हेल्पलाइन नंबर- 15100 पर लगातार लोगों को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।
- वर्तमान में हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त होने वाले मामलों में ज़्यादातर खाद्य पदार्थों की कमी, अपने गृह राज्यों से दूर फँसे प्रवासी मज़दूरों की समस्याएँ, मज़दूरी न मिलने के मामले या किसी हिसा के शिकार लोगों से संबंधित हैं।
- NALSA के अनुसार, वधिकि सेवा प्राधिकारियों द्वारा वकीलों के पैनल, पैरा-लीगल वालंटियर्स (Para Legal Volunteers) और ज़िला प्रशासन के सहयोग से हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
- साथ ही पैरा-लीगल वालंटियर दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर भोजन और मास्क वितरण में ज़िला प्रशासन और स्थानीय लोगों का भी सहयोग कर रहे हैं।

स्रोत: द हद्दि